संख्या: 44 /2022 /1209/ सत्रह-म-2022-17-1002 (099)/ 90/ 2019

प्रेषक,

आर0 पी0 सिंह ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर,2022

विषय: अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक –2405 मछली पालन के अन्तर्गत पुनर्वर्नियोग/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-235/ पुनर्विनियोग /लेखा शाखा/2022-23 दिनांक 06.10.2022 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान-सामान्य, 01-वेतन मद में हो रही बचत से लेखाशीर्षक 800-अन्य व्यय, 03- अनुसंधान-सामान्य, 13- टेलीफोन पर व्यय मद में रू0 14.05 लाख (रू0 चौदह लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि के पुनविर्नियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान- सामान्य, 01-वेतन मद में हो रही बचत से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान- सामान्य,13- टेलीफोन पर व्यय मद में रू0 14.05 लाख (रू0 चौदह लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि का पुनविर्नियोग करते हुए संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की जिस मद से पुनविर्नियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(6)

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(10) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 14,05,000 (रू0 चौदह लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक -2405मछली पालन, -800 अन्य व्यय, -03अनुसंधान - सामान्य, 13- टेलीफोन पर व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- RE-BUDGET-1-144 दिनांक 29 नवम्बर, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1</u>

भवदीय

(आर0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या: 44/2022/ 1209 (1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
8 - गार्ड फाइल।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।